

51
ACBEM

10/11/9

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित
नहीं। न्यायालय समय में कुछ बार-बार आवाज
लगाने जाने पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित
नहीं आये। पत्रावली अदम फौजवी अदम हाजरी में
खासिज की जाती है। पत्रावली के सबूत शुमार होकर
बाद नववीक वकमील दाखिल दफ्तर है।

AM

शरमाक फलक्टर
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

